फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

जगदीश बनाम कमला वगै0

किस्म मुकदमा– दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु0नं0– 388/2016

पीठासीन अधिकारी– श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित । प्रकरण के तथ्य संक्षिपत में इस प्रकार है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.11.2020 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2023/169 दिनांक 24.01.2023 द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर पेश किए जा चुके है। दौराने बहस कुरेजात प्रस्ताव वादी अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव सही होना जाहिर किया गया है एवं मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। बहस कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक मनन किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2023/169 दिनांक 24.01.2023 द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सिकराय को मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिए जाते है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगे। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	